171

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर खंडपीठ जबलपुर म.प्र.

निग 2898-I-16

1. नरेश कुमार आ. मुन्नालाल पांडे
2. मोहन पटवा आ. रामप्रसाद पटवा
3. शिरोमणी चौबे पत्नि सत्यनारायण चौबे
4. पार्वतीबाई पत्नि दौलत धानक

सभी निवासी-बरमानकला, तहसील करेली जिला नरसिहपुर .... निगरानीकर्तागण

बनाम

त्रिभुवन पालीवाल आ. किशोरीलाल पालीवाल
निवासी-ग्राम-चावरपाठा, तहसील तेदूखेडा जिला नरसिंहपुर .... उत्तरवादी

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रां.सं. 1959

उक्त निगरानी अर्जदार उत्तरवादी के आवेदन पर मौजा बरमान कला न.ब. 377, प.ह. न. 16, तहसील करेली, जिला नरसिंहपुर स्थित भूमि ख.नं. 14 रकवा 0.486 हे. भूमि का रा.नि. द्वारा विधि विरूद्ध किये गये सीमांकन दिनांक 13.04.2016 से क्षुब्ध होकर पेश करते हुये निम्नानुसार प्रार्थना करते है :-

प्रकरण के तथ्य

1 यह कि उत्तरवादी के आवेदन पर मौजा बरमान कला नं.ब. 377, प.ह. न. 16, तहसील करेली, जिला नरसिंहपुर स्थित भूमि ख.नं. 14 रकवा 0.486 हे. भूमि का रा.नि. बरमान के द्वारा दिनांक 13.04.2016 को किया गया जिससे क्षुब्ध होकर निगरानीकर्ता अनेक आधारो पर पेश कर रहे है।

निगरानी के आधार

2 यह कि रा.नि. बरमान के द्वारा मौजा बरमान कला नं.ब. 377, प.ह.न. 16, तहसील करेली, जिला नरसिंहपुर स्थित भूमि ख.नं. 14 रकवा 0.486 हे. भूमि का सीमांकन दिनांक 13.04.2016 को किया जाना बताया गया है जबकि वर्तमान में (सीमांकन किये) में उक्त खसरा रा.अभिलेखो मे अस्तिव मे नही है और न ही उक्त खसरा उत्तरवादी के नाम से है इस कारण से इस मनमाने व बनावटी सीमांकन को निरस्त किये जाने के आदेश दिये जावें।

3 यह कि रा.नि.महोदय ने उक्त सीमांकन की सूचना निगरानीकर्ताओ को नही दी और न ही किसी हितबद्ध व शरहदी कास्तकारो को दी जबकि रा.नि. ने उक्त सीमांकन में निगरानीकर्ताओ का अवैध कब्जा बताया है इस कारण उक्त निगरानीकर्ताओ को सीमांकन की सूचना दिया जाना आवश्यक है परंतु रा.नि. ने भू.रा.सं. के विपरीत सीमांकन किया है इस कारण उक्त सीमाकन दिनांक 13.04.2016 को निरस्त किया जाना लोकहित व न्यायहित मे आवश्यक होगा।

<u>XXIX(a)-BR(H)-11</u>

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2898-एक/16 **जिला** - नरसिंहपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25/02/2019	आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित सीमांकन आदेश के विरुद्ध सुनवाई अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 30.04.2019 को अनुविभागीय अधिकारी तह. करेली जिला नरसिंहपुर के समक्ष उपस्थित हों। सदस्य <u>अनुविभागीय अधिकारी करेली</u>	